तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज F.S.S.Act Case No.24/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
20.3.2023 ब	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी राकेश कुमार रावल पुत्र लक्ष्मणराम जी रावल, निवासी– महादेव नगर कॉलोनी, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बजरंग एजेन्सी, स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 17.1.2022 को फर्म बजरंग एजेन्सी, 01 स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी राकेश कुमार रावल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्लू ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1596 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./241/Act/2022/303 दिनांक 15.2.2022 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 17.3.2023 को प्रतिवादी राकेश कुमार रावल ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी राकेश कुमार रावल द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में कोई साक्ष्य ली जाना उचित नही होने से प्रतिवादी को दिनांक 17.3.2023 को सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि उसका व्यापार छोटा है, उसने पान मसाला तानसेन ब्लू ब्राण्ड को दूसरी फर्म से क्रय किया था उसने अमानक खाद्य सामग्री का निर्माण नही किया है। बिल गुम हो गया है। भविष्य में अमानक खाद्य सामग्री का विक्रय नही करेगा। अतः कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) दिनांक 17.1.2022 को दौराने गश्त समय 4.00 पी. एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म बजरंग एजेन्सी, 01 स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की उपस्थिति में प्रतिवादी राकेश कुमार रावल पुत्र श्री लक्ष्मणराम रावल, निवासी– महादेव नगर कॉलोनी, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। आम जनता को खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्राण्ड) बेचान [illegible]। तत्कालीन खाद्य ....लगातार	

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:18:10 IST
Reason: SelfAttested

ब
...ा मजिस्ट्रेट
...ही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज F.S.S.Act Case No.24/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्लू ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता राकेश कुमार रावल को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद पान मसाला (तानसेन ब्लू ब्राण्ड) 78 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक पाउच 145 ग्राम) में पान मसाला (तानसेन ब्लू ब्राण्ड) के 8 पैक्ड पाउच (प्रत्येक पाउच 145 ग्राम) को वास्ते नमूना जांच क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 1720/– (अक्षरे रुपये एक हजार सात सौ बीस मात्र) विक्रेता राकेश कुमार रावल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1596, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्लू ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने खरीद शुदा खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्लू ब्राण्ड) के दो–दो पैक्ड पाउचेज को मिलाकर चार पैकेट बनाकर टेप से चिपकाया एवं चारों नमूना पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना पैकेटों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1596 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को [illegible] कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी [illegible] फार्म नम्बर VI की ...लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:18:10 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज F.S.S.Act Case No.24/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 18.1.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 17.1.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म बजरंग एजेन्सी, 01 स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी राकेश कुमार रावल से खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्लू ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्लू ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1596 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./241/Act/2022/303 दिनांक 15.2.2022 में खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्लू ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1596 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी राकेश कुमार रावल पुत्र लक्ष्मणराम जी रावल, निवासी– महादेव नगर कॉलोनी, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बजरंग एजेन्सी, 01 स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पान मसाला (तानसेन ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य [illegible] 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य [illegible] अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–[illegible] शक्तियों का प्रयोग करते [illegible] पदार्थ पान मसाला (तानसेल [illegible] के कारण खाद्य सुरक्षा

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:18:10 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] जिला [illegible]
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज F.S.S.Act Case No.24/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी राकेश कुमार रावल पुत्र लक्ष्मणराम जी रावल, निवासी– महादेव नगर कॉलोनी, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बजरंग एजेन्सी, 01 स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी राकेश कुमार रावल पुत्र लक्ष्मणराम जी रावल, निवासी– महादेव नगर कॉलोनी, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म बजरंग एजेन्सी, 01 स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 21.4.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड) अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:18:10 IST
Reason: SelfAttested